

03/2/2021

2013

00577

पत्रपत्नी पेश हुई अखिलेश्वर वारीगण उपासीत नहीं  
आजाज लागू पाई गई। अखिलेश्वर वारीगण एवं वारीगण  
स्वयं उपासीत नहीं। दिनांक 17/2/2020 को भी वारीगण  
एवं अखिलेश्वर वारीगण के उपासीत नहीं होने पर सुनवाई का  
अवसर रिया गया था। आरोपिका 24/01/19 अनुयायि प्रतिवशीय  
की तलाबी हेतु नोटिस भी अंतर नहीं। ~~अतः~~ शकल जाहिर होना  
है कि वारीगण को वाद पत्र के कोड़े जन्मे नहीं हैं। अतः प्रकार  
अपमहजरी अहम पेशी में खारीय किचा जा रहा है। पत्रपत्नी  
अखिलेश्वर वारीगण से काम है।



(श्याम सुन्दर बिश्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)